

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, (आई. डी. 5081), कनीय अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह को विभागीय अधिसूचना सं.-3547 दिनांक 29.06.13 द्वारा लघु वितरणी अवर प्रमण्डल सं.-2, डिमना (लघु वितरणी प्रमण्डल सं.-5, डिमना, जमशेदपुर) में सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया था। श्री श्रीवास्तव द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ह -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1343 राँची, दिनांक 15-2-14

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, ईचा गालूडीह/चाण्डिल/कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं.-5, डिमना, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह/ संयुक्त सचिव (प्र0) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/ श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव, कनीय अभियंता, बराज प्रमण्डल, गालूडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जल संसाधन विभाग, राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

157

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री चन्द्रशेखर ठाकुर, (आई. डी. 5181), कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो को विभागीय अधिसूचना सं.-3547 दिनांक 29.06.13 द्वारा तेनु स्पीलवे गेट निर्माण अवर प्रमण्डल, तेनुघाट (तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट) में सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

हस्ताक्षर -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1344 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपकोषागार पदाधिकारी, तेनुघाट/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ संयुक्त सचिव (प्र0) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ श्री चन्द्रशेखर ठाकुर, कनीय अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जल संसाधन विभाग झारखण्ड बोकारो

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

158

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री विमल कुमार झा, (आई. डी. 3832), सहायक अभियंता की सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा जलपथ अवर प्रमण्डल-3, गढ़वा शिविर नगर ऊटारी में पदस्थापित किया गया था। श्री झा द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

50 -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1345 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र0) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रण्डल, गढ़वा/ श्री विमल कुमार झा, सहायक अभियंता, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 नैन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

15/02/14

159

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री योगेन्द्र शर्मा, (आई. डी. 3332), सहायक अभियंता की सेवा नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा कदवन बाँध, अवर प्रमण्डल-2 नगर ऊटारी में पदस्थापित किया गया था। श्री शर्मा द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

हो -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1346 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र0), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/कार्यपालक अभियंता, कदवन बाँध प्रमण्डल, नगर ऊटारी/ श्री योगेन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 नव गैरजर गल हलायने किया अमरबाई राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

160

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री अनिल कुमार सिंह, (आई. डी. 8896), सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-3019 दिनांक 30.06.12 द्वारा लघु वितरणी अवर प्रमण्डल सं.-1, गालूडीह (लघु वितरणी प्रमण्डल सं.-7 गालूडीह) में पदस्थापित किया गया था। श्री सिंह द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

ई० -
(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 13-4-14 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपकोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/ उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना चाण्डिल, जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल सं.-7 गालूडीह/ श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग कार्यालय राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

161

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, (आई. डी. 5116), कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदग्गा को विभागीय अधिसूचना सं.-3547 दिनांक 29.06.13 द्वारा जलपथ अवर प्रमण्डल सं0-4 चैनपुर, गुमला (जलपथ अवर प्रमण्डल सं0-1 चैनपुर) में सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया था। श्री सिन्हा द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनु रूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1348 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र0) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, सं0-1, चैनपुर/लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदग्गा/ श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदग्गा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जल संसाधन विभाग कार्यालय राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

162

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री विद्याभूषण चौधरी, (आई. डी. जे०-8120), सहायक अभियंता, अनुमण्डल पदमा (लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग) को विभागीय अधिसूचना सं.-7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा अवर प्रमण्डल सं०-4, जसीडीह (सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह) में पदस्थापित किया गया था। श्री चौधरी द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1345 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/देवघर/
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/
कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हजारीबाग/ सिंचाई प्रमण्डल, देवघर/
श्री विद्याभूषण चौधरी, सहायक अभियंता, अनुमण्डल, पदमा (लघु सिंचाई प्रमण्डल,
हजारीबाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२. लघु सिंचाई जल संसाधन विभाग सरकार राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

163

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री ललिता प्रसाद श्रीवास्तव, (आई. डी. 5306), कनीय अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर को विभागीय अधिसूचना सं.-3547 दिनांक 29.06.13 द्वारा लघु सिंचाई अनुमण्डल, सोसोकुटी (लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी) में सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया था। श्री श्रीवास्तव द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इ-

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.-1350 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी,
जमशेदपुर/उपकोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा
परियोजना, ईचा गालुडीह/लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र0) जल संसाधन
विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/ कार्यपालक अभियंता,
खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/लघु सिंचाई प्रमण्डल, खूँटी/ श्री ललिता प्रसाद
श्रीवास्तव, कनीय अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2 जन मैनेजर जल संसाधन विभाग कारखाना राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

164

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग**

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री चन्द्रशेखर, (आई. डी. 4409), सहायक अभियंता की सेवा झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण निगम, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-7776 दिनांक 21.12.2013 द्वारा जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर, पाटन में पदस्थापित किया गया था। श्री चन्द्रशेखर द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री चन्द्रशेखर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

20-
(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1351 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/
कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि०, राँची प्रमण्डल,
राँची/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल
संसाधन, राँची/मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, विशुनपुर
पाटन/ श्री चन्द्रशेखर, सहायक अभियंता, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निर्माण लि०,
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. निलंबित श्री चन्द्रशेखर जल संसाधन विभाग के अवर सचिव को

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

165

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री निर्मल कुमार तिवारी, (आई. डी. जे०-4812) सहायक अभियंता, की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-3546 दिनांक 29.06.13 द्वारा नहर अवर प्रमण्डल, गोला (जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग) में पदस्थापित किया गया था। श्री तिवारी द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इ० -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1352 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी / उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची / जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग / श्री निर्मल कुमार तिवारी, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेंच मैनेजर जल संसाधन विभाग कार्रवाई करें।

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

15/02/14

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

166

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री अमीत कुमार, (आई. डी. सी०-0101), प्राक्कलन पदाधिकारी, खरकई बाँध प्रमण्डल सं०-1, मुसाबनी, शिविर चलियामा को विभागीय अधिसूचना सं०-7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिसई में सहायक अभियंता (चालू प्रभार) के रूप में पदस्थापित किया गया था। श्री कुमार द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इ० -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं०.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1353 राँची, दिनांक 15.02.14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ उपकोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/ मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा परियोजना, ईचा गालुडीह/ लघु सिंचाई, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/ कार्यपालक अभियंता, खरकई बाँध प्रमण्डल सं०-1, मुसावनी/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला/ श्री अमीत कुमार, प्राक्कलन पदाधिकारी, खरकई बाँध प्रमण्डल सं०-1, मुसाबनी, शिविर चलियामा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जल संसाधन विभाग के कार्यालय

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग

167

आ0सं0- 02/विविध-7-9/14 ज. सं.-

राँची, दिनांक

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, (आई. डी. 3286), सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण कार्य विभाग, राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं.-7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा रूपांकण प्रमण्डल सं०-2, मेदिनीनगर में पदस्थापित किया गया था। श्री सिंह द्वारा सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है; तदनुरूप सरकारी आदेश की अवेहलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2- निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3- निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

20 -

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं.02/विविध-7-9/14 ज. सं.- 1354 राँची, दिनांक 15-2-14
प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ उपसचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड राँची/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राँची/मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०-2, मेदिनीनगर/ श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री. जे. ए. मैनेजर जल संसाधन विभाग राँची

(डॉ लम्बोदर महतो)

सरकार के अवर सचिव

19/2/14